सरकार व अन्य बनाम श्रीमती पी लक्ष्मी देवी के मामले में फैसला देते हुए कहा-In our opinion, therefore, while Judges should practice great restraint while dealing with economic statutes, they should be activist in defending the civil liberties and fundamental rights of the citizens. This is necessary because though ordinarily the legislature represents the will of the people and works for their welfare, there can be exceptional situations where the legislature, though elected by the people may violate the civil liberties and rights of the people. It was because of this foresight that the Founding Fathers of the Constitution in their wisdom provided fundamental rights in Part III of the Constitution which were modeled on the lines of the U.S. Bill of Rights of 1791 and the Declaration of the Rights of Man during the Great French Revolution of 1789. ....

It must be understood that while a statute is made by the peoples' elected representatives, the Constitution too is a document which has been created by the people (as is evident from the Preamble). The Courts are guardians of the rights and liberties of the citizens, and they will be failing in their responsibility if they abdicate this solemn duty towards the citizens. For this, they may sometimes have to declare the act of the executive or legislature as unconstitutional. ...

कोई भी सरकार शक्तिशाली न्यायपालिका नहीं चाहती। इस प्रचण्ड ग्लोवलाइजेशन व उदारीकरण के दौर में जिसके भारतीय पुरोधा प्रधानमंत्री जी हैं, ने अपनी नसीहत उस सम्मेलन (राष्ट्रमंडल, विधि सम्मेलन) में दी जिसमें ५३ देशों के लगभग ८०० प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है तो अन्य दल उसके पालन पोषण कर्ता हैं। हर जननी को अपनी संतान प्यारी होती है चाहे वह कितनी ही विनाशक क्यों न हो? कांग्रेस अपना जननी धर्म निभा रही है, न्यायालय अपनी करनी कर रहे हैं।

कल्पना कीजिए अगर न्यायपालिका भी विधायिका व कार्यपालिका के स्वर में स्वर मिलाकर खामोश बैठ जाय तो इस दिग्भ्रमित लोकतंत्र का क्या होगा? जो लोग आज न्यायपालिका को इसकी लक्ष्मण रेखा याद दिला रहे हैं वे शायद अपनी कर्म रेखा भूल गये हैं। कोई लक्ष्मण रेखा तब तक किसी सीता को नहीं बचा सकती जब तक वह मानवतावादी दृष्टिकोण को परित्याग न कर दे यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सीता ने लक्ष्मण रेखा अपने हित के लिए नहीं बल्कि एक साधू को जीवन यापन के लिए भिक्षा देने के लिए पार की थी न कि एक धोखेबाज के लिए। अगर कोई व्यक्ति न्यायहित में अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता भी है तो उसका तहेदिल से इस्तक्बाल होना चाहिए क्योकि कई बार न्यायहित में न्यायधीशों द्वारा ऐसा करना जरूरी हो जाता है।

विधायिका और कार्यपालिका के 'चोर-चोर' मौसेरे भाई साबित होने के बाद आम आदमी को अब सिर्फ न्यायपालिका का ही सहारा बचा है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका दूध की धुली है लेकिन आनुपातिक तौर पर वह आज भी सबसे बेहतर व लोक कल्याण कारी कार्य करने में आगे है।

अगर चन्द मामलों को छोड़ दिया जाय तो न्यायपालिका ने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश व देश वासियों का सिर शर्म से झुका हो जबकि विधायिका व कार्यपालिका में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं।

न्यायपालिका का दायित्व है कि वह आम आदमी की परेशानियों विशेषकर इसके जीवन, स्वतंत्रतता, समानता, पर्यावरण व श्रम का निराकरण करें। यही कार्य कानून का शासन कायम रखने के लिए भी आवश्यक है इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विधायिका व कार्यपालिका का कार्य स्वयं करने लगे। वैसे स्वयं वह यह कार्य कर भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास यह सब करने के लिए न तो इन्फ्रास्ट्रक्चर है न ही दक्षता। यह सब कराने के लिए संवधिान प्रदत्त अधिकार उसके पास जरूर है जिसके तहत वह निर्देश दे सकती है।

आज सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सक्रियता को न्यायिक अतिवादिता की संज्ञा दी जा रही है वास्तव में न्यायिक सक्रियता से वही लोग पीड़ित, दुःखी और असहज हो रहे हैं जो या तो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या उसको बढ़ाने में सहायक हैं। भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और इस कार्य के लिए न्यायपालिका को किसी भी हद तक जाना चाहिए। ❑

''अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फैसला।
जिस दिये में जान होगी वो दिया रह जायेगा।।''

पदाधिकारियों ने ली शपथ

लखनऊ (ज.आ.)। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रांतीय महासचिव राजेश कुमार यादव ने शपथ दिलाई।

दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सभागार में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ-ग्रहण समारोह के साथ-साथ ईद मिलन एवं वरिष्ठ सेवा निवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह भी आयोजन किया गया।

शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी जिला जज एस.एन. अग्निहोत्री थे। पदाधिकारियों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, राघवेंद्र यादव, सचिव, अरुण चंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुधाकर नाथ त्रिपाठी, कनिष्क उपाध्यक्ष, एजाज अहमद, संयुक्त, सचिव, राजीव अस्थाना, संगठन सचिव, उत्पल चटर्जी, प्रसार सचिव, पंकज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष, अमित यादव एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। समारोह में लखनऊ बार एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा प्रांतीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।❑

राजीव अस्थाना

कतन्ना

-शब्दवेधी

- ☐ सुशासन का दुश्मन है भ्रष्टाचार -प्रतिभा पाटिल
- ♦ दुश्मन को गले लगाना ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है जैसे पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है फिर भी हम उसको गले लगाये हैं अमेरिका के दबाव में।
- ☐ ममता बनर्जी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीति नेतृत्व के योग्य नहीं हैं, जब तक उनके पास संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के लिए सम्मान नहीं है। -मार्कंडेय काटजू
- ♦ कहां की बात कर रहे हैं? इस देश में संविधान व नागरिक अधिकार नेताओं के पैरों की जूती है और जूती कभी सिर पर नहीं चढ़ाई जाती।
- ☐ बगैर काम ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता -अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री
- ♦ काहिल बनाने का इससे अच्छा दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता।
- ☐ सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और भ्रष्टाचार मिटाने के प्रयास करने चाहिए। -मायावती, बसपा
- ♦ भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचारियों को मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मिटाये कौन? जिनके हाथ में यह ताकत है वे स्वयं भ्रष्टाचारों के अवतार हैं।
- ☐ सभी विभाग चाहे तहसील, चाहे सिंचाई विभाग हों चाहे पीडब्ल्यूडी। सुन लीजिए। मैंने तो उसी दिन खुलेआम पीडब्ल्यूडी वालों से कह दिया था, अगर मेहनत करोगे तो थोड़ी बहुत चोरी भी कर सकते हो, मगर डकैती नहीं डालोगे, सही है न...। अगर इन्हें मीठा पानी दे दोगे तो थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हो, यहां अखबार वाली बात नहीं है जो जाकर कह दो कि मंत्री जी ने कह दिया कि चोरी कर लो। -शिवपाल यादव
- ♦ राजनीतिक अपरिपक्वता आपके बयान से झलकती है, अगर आप मीटिंग में चोरी, भ्रष्टाचार के प्रति दहाड़ते और बाद में कानों में बुलाकर कहते कि मीटिंग वाली बात को सीरियसली कभी मत लेना जैसे कर रहे थे वैसे करो तो इतना बखेड़ा न होता।
- ☐ कालेधन की वापसी के लिए सरकार द्वारा जो प्रक्रिया चलनी चाहिए, चल रही है। कालेधन की वापसी के लिए फौज तो भेजी नहीं जा सकती। -सलमान खुर्शीद
- ♦ बिल्कुल सही कहा, 'जहां फौज भेजनी चाहिए, जब वहां नहीं भेज रहे हैं तो उसके लिए क्यों भेजें?
- ☐ राहुल का काला धन विदेश में जमा -जेठमलानी
- ♦ और आपका? आखिर जब आप विधि मंत्री थे तो कितना प्रयास किया था कालेधन के लिए कितने कानून बनाये थे?
- ☐ मैंने गलती से यूपीए-२ कहा है। मैं २००६ के चुनाव की बात नहीं कर रहा था, बल्कि २००८ में सदन में विश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान की बात कर रहा था। मैं नाजायज शब्द वापस लेता हूं। -लालकृष्ण आडवाणी
- ♦ थूक कर चाटने की आदत नेताओं की कभी नहीं जा सकती है चाहे वे जिस दल के हों।
- ☐ एनआरएचएम घोटाले ने कराई बदनामी -सी एम
- ♦ तभी तो उसके सूत्रधार आइ.ए.एस. अफसर को आपकी सरकार 'सर आंखों' पर बैठाये हैं।
- ☐ जनतंत्र का हित देखें या कैग रिपोर्ट -श्रीप्रकाश जायसवाल
- ♦ दोनों ही नहीं, केवल अपना और अपनी 'अम्मा' का देखिए। चुनाव के लिए पैसा भी तो चाहिए, बकने दीजिए इनको ये भी तो यही करते हैं।
- ☐ नागर जी का लेखन कभी प्रथम श्रेणी का नहीं रहा -मुद्रा राक्षस
- ♦ निम्न मानसिकता वाले को किसी का काम पसंद नहीं आता। 'चोरों को सारे नजर आते हैं चोर' की कहावत चरितार्थ होती है।

मुद्रा के लिए जो राक्षस बने वह है मुद्रा राक्षस। नागर जी का सवांश भी जिस दिन लिखे उसके बाद ही उनको Certificate जारी करें।